

# नगर पालिका, लक्ष्मनगढ

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/LAXMANGARH/FIRENOC/2024-25/37138  
जारी दिनांक: 04-SEP-2024 वैधता दिनांक: 03-SEP-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: PAWAN GOENKA  
आवेदक का पता: WARD NO 15 NEAR BAJAR POST OFFICE LAXMANGARH SIKAR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन BAGARIA BAL VIDYA NIKETAN, LAXMANGARH, LAXMANGARH, LAXMANGARH, LAXMANGARH, SIKAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिविलोरेटि गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालना करना आवश्यक होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अन्दर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाये जाने कि स्थिति में यह अभिशेषा पत्र निरस्त माना जायेगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
- राजस्थान नगरपालिका मॉडल भवन विनियम 2020 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के समस्त प्रावधान की पालना की जानी आवश्यक होगी।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सुखे एवं गिरे कचरे एकत्रित करने हेतु इस्टबीन (हरे एवं नीले) रखने एवं कचरा निस्तारण किया जाना आवश्यक होगा।



Signed by: Devlal Bochalya  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: LAXMANGARH, Rajasthan  
Date: 04/09/2024 12:28:39

अग्निशमन अधिकारी  
नगर पालिका, लक्ष्मनगढ

Principal  
Bagaria Bal Vidya Niketan  
Laxmangarh-Sikar (Rajasthan)

Page 1 of 1  
(Pawan Goenka)  
Secretary  
Bagaria Bal Vidya Niketan  
Laxmangarh-Sikar (Rajasthan)